बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक 17-3-17

संख्या–7/स्था0–1–4–05/2011सा0प्र0 3215/भारत–संविधान के अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, उच्च न्यायालय, पटना एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के परामर्श से, बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ**।– (1) यह नियमावली बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) (संशोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी।
   (2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. **बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 के नियम 25(ख) का प्रतिस्थापन**।– उक्त नियमावली का नियम 25(ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–
   "(ख) असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के संवर्ग का कोई पदाधिकारी यदि सेवा के तीन वर्ष पूरा होने के पूर्व सेवा छोड़ देता है या सेवा त्याग देता है तो उसे तीन माह पूर्व इसकी सूचना देनी होगी अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के समतुल्य नकद राशि जमा करना होगा।"
3. **बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 के नियम 24(ii) का प्रतिस्थापन**।–
   उक्त नियमावली का नियम 24(ii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–
   "(ii) वह उच्च न्यायालय द्वारा विहित जाँच परीक्षा उत्तीर्ण हो।"
4. **बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 के नियम 26(ii) का प्रतिस्थापन**।–
   उक्त नियमावली का नियम 26(ii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–
   "(ii) वह उच्च न्यायालय द्वारा विहित जाँच परीक्षा उत्तीर्ण हो।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से
17/3/17
(भीम प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–1–4–05/2011सा0प्र0 3215/पटना–15, दिनांक 17-3-17

प्रतिलिपि:–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उक्त अधिसूचना की दो प्रतियाँ सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

17/3/2017
सरकार के उप सचिव।

D/DRIVE/SEC-07/NOTIFICATION

ज्ञापांक–7 / स्था0–1–4–05 / 2011सा0प्र0 3245 / पटना–15, दिनांक 17-3-17

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या–18, दिनांक 15.03.2017 के प्रसंग में / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना / सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

D:DRIVE/SEC-07/NOTIFICATION

Government of Bihar
General Administration Department

Notification

Patna-15, Date 17-3-17

No-7/Ashta-1-4-05/2011GAD...3245........../In exercise of the powers conferred by Article 234 of Constitution of India the Governor of Bihar in consultation with High Court, Patna and Bihar Public Service Commission is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules, 1955:-

1. **Short title and commencement.** -(1) This Rules may be called Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Amendment Rules, 2017.

   (2) It shall come into force at once.

2. **Substitution of Rule 25(b) of the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules, 1955.**- Rule 25(b) of the said Rules shall be substituted by the following :-

   "(b)- If an officer in the cadre of Civil Judge (Junior Division) wishes to resign from the service for any reason before completion of 3 years, he shall either give notice of 3 months or deposit pay in lieu thereof."

3. **Substitution of Rule 24(ii) of the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules, 1955.**- Rule 24(ii) of the said Rules shall be substituted by the following :-

   "(ii)- He has passed such test as may be prescribed by the High Court."

4. **Substitution of Rule 26(ii) of the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules, 1955.**- Rule 26(ii) of the said Rules shall be substituted by the following :-

   "(ii)- He has passed such test as may be prescribed by the High Court."

By order of the Governor of Bihar

17/3/17

(Bhim Prasad)

Deputy Secretary to the Govt.

Memo no.-7/Ashta-1-4-05/2011GAD...3245......../Patna-15, dated..17-3-17...

Copies in duplicate along with its C.D. forwarded to Superintendent, Govt. Press, Gulzarbagh, Patna and E-Gazette cell, Finance Department, Bihar, Patna for Publication in Forth coming issue of extra ordinary Gazette.

2. Kindly send 200 (Two Hundred) Copies of this notification to General Administration Department.

17/3/17

Deputy Secretary to the Govt.

Memo no.-7/Ashta-1-4-05/2011GAD..3245......../Patna-15, dated...17-3-17..

Copy forwarded to the Accountent General, Bihar, Patna/ Registrar General, High Court, Patna/Principal Secretary, Cabinet secretariat with reference to Cabinet item no.-18, dated 15.03.2017/Secretary, Law Department, Bihar/B.P.S.C., Patna/All District & Session Judges/All Departments/All Head of Departments and I.T. Manager, G.A.D. for information and necessary action.

17/3/17

Deputy Secretary to the Govt.